

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH

Fee Structure-
ADMISSION OF U.P. (M.B.B.S.) STUDENT

(As per G.O. No. 2240/71-3-10-328/91 dated 20-08-2010)

Fee Heads	BOYS		GIRLS		
	GEN Fee (Amount Rs.)	OBC/SC/ST (Amount Rs.)	GEN Fee (Amount Rs.)	OBC/SC/ST (Amount Rs.)	
Tuition Fee	18000	9000	18000	9000	Annual
Other Fee	4000	4000	4000	4000	Annual
Development Fee	2000	2000	2000	2000	Annual
Admission Fee	2000	2000	2000	2000	Only at the time of admission
Caution Money	10000	10000	10000	10000	Only at the time of admission
Hostel Fee	2400 (Double seated)	2400 (Double seated)	2400 (Double seated)	2400 (Double seated)	Annual
Electric Fee	2400	2400	2400	2400	Annual
Total	40800	31800	40800	31800	

MODE OF FEE PAYMENT: By Demand Draft- In favour of Principal, Government Medical College, Azamgarh

(Fee is valid only after document verification)

01- Allotment Letter

Admit Card of Entrance Test

Result/Rank Letter of Qualifying Examination

Online Registration Proof (Only for State quota candidates)

Document Verification Slip (Only for state quota candidates)

02- High School & Intermediate Pass Mark sheet & Certificate

03- Others Examination Pass Mark Sheets & Certificate (If applicable)

04- Transfer Certificate - If Intermediate Passed from UP Board

or

Migration Certificate- If Intermediate or Other exam Passed from other Board/University

- 05- If Applicable then Caste/Other Reservation certificate as per format/Instructions given in Information Brochure or guidelines issued by UPDGME, Lucknow
- 06- If Highschool or Intermediate or Both exams passed from other state then domicile certificate as per format/Instruction given in Information Brochure or guidelines issued by UPDGME, Lucknow (**Only for those students who are allotted through State Quota**)
- 07- Character Certificate issued by last educational institution
- 08- Aadhar Card
- 09- Non Judicial Stamp Paper of Rs. 10/- regarding Anti Ragging Affidavit by Student
- 10- Non Judicial Stamp Paper of Rs. 10/- regarding Anti Ragging Affidavit by Parents
- 11- Non Judicial Stamp Paper of Rs. 10/- regarding gap (>1 year) after inter/Other exam
- 12- Non Judicial Stamp Paper of Rs. 100/- regarding Service Bond
- 13- Two passport size colour combined photographs of Student with parents
- 14- A total of 06 photographs of student as on admit card
- 15- Two sets of self-attested photocopy of documents within on S. No. 01 to 08
- 16- Any other document as per new Guidelines Only for state quota candidates

Anti Ragging Affidavit on Rs. 10.00 Stamp paper for Student

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम-2013

छात्र का आरवासन

1. मैं सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती/ (नीट यू0जी0- 20..... (शैक्षणिक संस्थान का नाम) में प्रवेश
अनुक्रमांक मेरिट) जिसे
दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 के जोखिम पर नियंत्रण सम्बन्धी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो
इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।
2. मैंने विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें
सम्मिलित हैं।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाही के विषय में पूरी
तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरुद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग
को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षडयन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आरवासन देता/देती हूँ कि -
(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के
रूप में माना जा सकता है।
(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षडयन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन
में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. मैं, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना
पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी अपराधिक मामले के प्रति
किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है।
6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने मुझे रैगिंग के षडयन्त्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको
भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्काशित किया है ना ही प्रवेश से बाधित किया है और
मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश
निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।
घोषित किया गया दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह बचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश अराज्य नहीं है तथा
इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयथार्थ कही गयी है।
सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम:

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम-2013
माता-पिता/अभिभावक द्वारा दी गयी प्रतिबद्धता

1. मैं माता-पिता/अभिभावक (नीट यू0जी0-20.....
अनुक्रमांक मेरिट), जिसके पुत्र/पुत्री को (संस्था का नाम) में प्रवेश दिया
गया है. इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से सम्बद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे से
विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया
है।
2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान
रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाता/जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा
देने के षडयंत्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाई का वह
भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि -
(क.) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग माना गया
है।
(ख.) मेरी संतान जानबूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही
उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की
धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो
दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड सम्बन्धी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
6. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा
उसमें सहायक होने की अथवा षडयंत्र का एक हिस्से के रूप में दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के
कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान
को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
घोषित किया गया दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

दूरभाष सं./मो.नं.

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा
इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयथार्थ कही गयी है।

सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

- मैं माता-पिता/अभिभावक
(नीट यू0जी0/पी0जी0-20..... अनुक्रमांक मेरिट) शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -
1. हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार मेरी जन्मतिथि है।
 2. मैंने वर्ष में परीक्षा
(बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम) उत्तीर्ण की है।
 3. अन्य
 4. उक्त के पश्चात अबतक मैं कर रहा था।
 5. उक्त के अतिरिक्त मैंने किसी भी कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है।
मेरे द्वारा की गयी उक्त घोषणाएं, प्रवेश के समय प्रस्तुत समस्त अभिलेख एवं सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं।

नाम:

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

पता:

दूरभाष सं./मो.नं.

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO
M.B.B.S. COURSE SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT ON THIS DAY OF/...../.....

BETWEEN

NAME
S/O, D/O, W/O
RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS)
(TEMPORARY ADDRESS) :
MOBILE NO.:
E-Mail id.:
AADHAR No. :

Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEREAS FIRST PARTY has applied for admission to course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than two year after successful completion of the course.

If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of two year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 10 Lacs for Degree to Government at the specified Government Treasury.

During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the course his/her certificates relating to course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of two year or pay to the Government on demand the sum of Rs..... (Rupees) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period 'of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY employed as granted stipend to him/her for a period of 24 months effect fromin order to enable his/her to study at college.

AND WHERE AS if the FIRST PLARTY work s for a period of less than 24 months during the Super specialty course DM/MCH/..... Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY shall pay back in addition to the security amount of Rs.....(Rupeesonly) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLWOS: -

1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the Super specialty course DM/MCH/Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. (Rupees only) to the Government in the specified Government Treasury.
2. The FIRST PARTY Agrees that till the successful completion of the period of two year service to the Government or till the payment of Rs. (Rupees) only is paid the certificates relating to Super specialty course DM/MCH/.....Post Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/discharged.
4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of
FIRST PARTY
()

For and behalf of
Governor
()

Witnesses : -